कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/2515/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 25 जुलाई 2020

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19), एक संक्रामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व में आज दिनांक तक कुल 15296926 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक कुल 628903 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 25 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित है जिनमें कुल 1336861 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और कुल 31358 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 6370 धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजीटिव मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है।

इसी प्रकार सूरजपुर जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजीटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 42 कोरोना पॉजीटिव मरीज की पहचान सूरजपुर जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना पॉजीटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। सूरजपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत आज दिनांक तक 04 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जिसमें 02 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावें। COVID-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सूरजपुर के संपूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला सूरजपुर के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 28.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।**

ब. यह भी आदेशित किया जाता है कि :–

1. जिला सूरजपुर अंतर्गत सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
2. जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो–रिक्शा, बसें, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल एमरजेंसी मेडिकल

सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छुट रहेगी।

3. सभी नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी।
4. सभी नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी।
5. सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्टरी, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को निम्न शर्तों के अधीन छुट रहेगी :–
   - क– यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्टरी/इकाइयों के अंदर करनी होगी।
   - ख– आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्टरी/इकाइयों को स्वयं करनी होगी।
   - ग– संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।
   - घ– इन इकाइयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर इलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाइयों को ही करना होगा।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्टरी, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से छुट रहेगी।
7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
8. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वारंटाईन की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार के चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

स. **फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय–समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त** पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :–

1. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी। **ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।** उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।

2. पंजीयन कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
3. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय
4. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
5.. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
6. दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
7. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
8. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा–जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति **प्रातः 7:00 बजे से दोप. 12:00 बजे** तक होगी।
9. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति **प्रातः 07:00 बजे से दोप. 12:00 बजे** तक होगी।
10. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
11. घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर **प्रातः 6:00 बजे से 9.30 बजे** तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। दुग्ध एवं डेयरी हेतु **प्रातः 07:00 से 12:00 बजे तक एवं सायं 4:00 बजे से सायं 07:00 बजे** तक।
12. मास्क, सेनेटाईज, दवाईयां ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवाहन करने वाले वाहन।
13. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।
14. जेल
15. अग्निशमन सेवायें।
16. ए.टी.एम.।
17. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें।
18. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।
19. पशु चारा।
20. पोस्टल सेवायें।
21. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति।
22. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें।
23. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
24. अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री(जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगें।

25. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।
26. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया।
27. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
28. खाद्य बीज कृषि उपकरण से संबंधित समय **प्रातः 07:00 से दोप. 12:00 बजे** तक।

द. मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंको के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:—

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एव संक्रमण विस्तार को दुष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय—समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंको के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें।
4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ई. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका —स में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होगें।
(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ओ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके संन्दर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ1—26/2020/17—1, दिनांक 13.3.2020 के संन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2515-A/एस.डब्ल्यू. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 25 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर अटलनगर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला–सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जिला सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)